प्रेस विज्ञप्ति

वाणिज्यिक विभाग के सेक्टर–18 में निर्मित Removable & Restructurable 10 क्योस्कों की योजना का प्रकाशन दिनांक 2.12.2022 से 31.12.2022 तक के लिए अनुज्ञा आधार पर किया गया था। योजना में प्रकाशित क्योस्कों में प्रत्येक क्योस्क का क्षेत्रफल 7.59 वर्ग मीटर है जिसका प्रति माह का आरक्षित किराया 27000/– निर्धारित है। 07 अनुज्ञा आधारित क्योस्कों के विरूद्ध प्राप्त अर्ह निविदाकारों तथा उनके मध्य दिनांक 10.1.2023 को कराये गये ई–ऑक्शन का विवरण निम्नवत है–

क्योस्क संख्या	प्रतिभाग किये गये अर्ह आवेदको की संख्या	उच्चतम निविदाकार का नाम	उच्चतम बोली (प्रतिमाह हेतु)
के–3	20	श्री सोनू कुमार झा	3,25,000/–
के–7	16	श्री सुमित अवाना	1,90,000/–
के–8	10	श्री सिद्धेश्वर नाथ पाण्डेय	1,90,000/–
के–9	4	श्री बिनोद प्रसाद यादव	1,03,000/–
के–13	3	श्रीमती प्रियंका गुप्ता	69,000/–
के–16	4	श्रीमती शिवांगी शर्मा पोरवाल	70,000/–
के–17	5	श्री अजय कुमार यादव	1,80,000/–

अनुज्ञा आधारित क्योस्कों के विरूद्ध लगाई गई न्यूनतम आरक्षित किराये से कई गुणा ज्यादा होना सेक्टर–18 के वाणिज्यिक महत्ता को दर्शाती है। उक्त योजना में नीलाम हुई परिसम्पत्तियों के उच्चतम निविदाकारों के पक्ष में दिनांक 20.01.2023 को आवंटन पत्र निर्गत किये जायेंगे। उक्त क्योस्कों के अनुज्ञा आधारित आवंटन से नोएडा को प्रत्येक वर्ष लगभग रू0–1.24 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होगी।

वर्तमान में इस योजना के अवशेष 3 अनुज्ञा आधारित क्योस्कों के सापेक्ष में न्यूनतम 3 निविदाकार से कम आवेदन प्राप्त होने की दशा में इन 3 अनुज्ञा आधारित क्योस्कों को 7 दिनों के लिए प्रथम बार रोल ओवर किया गया है। जिसमें आवेदन सम्बन्धी प्रपत्रों को अपलोड कराये जाने की आखिरी तिथि दिनांक 11.1.2023 निर्धारित है।